सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 241 राँची ,बुधवार 2 वैशाख 1937 (श०)

22 अप्रैल, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2015

संख्या-4/न॰वि॰/विविध/193/2014-1412 -- झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो इस उद्देश्य से झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम**, 2011** की धारा-**152** के अन्तर्गत नगर निकायों को राजस्व स्त्रोत में वृद्धि के लिए कर उगाही की शक्ति का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों को अपने राजस्व स्त्रोत में वृद्धि के लिए निम्नांकित करों की उद्ग्रहण की शक्ति प्रदान की गई हैः-

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम**-2011** की धारा-**152 (1)** इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए नगरपालिका को निम्नांकित करों के उद्ग्रहण की शक्ति प्रदत्त हैः-

(i) भूमि एवं भवनों पर सम्पत्ति कर,

(ii) रिक्त भूमि पर कर,

(iii) भूमियों एवं भवनों के स्थानान्तरण पर अधिभार,

(iv) किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर,

(v) जल कर,

(vi) अग्नि कर,

(vii) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से इतर विज्ञापनों पर कर,

(viii) मनोरंजन कर पर अधिभार,

(ix) नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर अधिभार,

(x) सभा कर,

(xi) तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों पर कर,

(xii) मार्ग (पथ) कर-

(a) सड़कों, पुलों तथा नौघाट एवं नौगम्य जलमार्ग पर, और,

(b) किसी सार्वजनिक सड़क पर चलाये जाने वाले मोटरवाहन अधिनियम, **1988** के अर्थान्तर्गत भारी ट्रक जो भारी मालवाहक वाहन होगा तथा बसें जो यात्री वाही भारी मोटर वाहन होगा, पर।

(xiii) वृत्ति एवं व्यवसाय (पेशा) पर करः

इसके अतिरिक्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, **2011** की धारा-**126** में निहित प्रावधान के आलोक में निकाय क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार के सैरात, सार्वजनिक, हाट एवं तालाबों एवं गैर मजरूआ भूमि का हस्तांतरण संबंधित विभागों से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को संकल्प संख्या-**4125,** दिनांक-**17 अक्टूबर, 2013** के द्वारा किया जा चुका है। उक्त संकल्प के प्रभावी होने के पश्चात् शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत पड़ने वाले विभिन्न श्रेणियों की अचल सम्पत्तियाँ तथा उसमें निहित्त सभी प्रकार के संशाधन एवं प्राकृतिक अवयव संकल्प निर्गत की तिथि से छः माह के अन्दर नगर निकायों में समावेसित हो गया है, जो निम्न प्रकार हैः-

(i) सार्वजनिक भूमि, जो किसी सरकारी विभाग अथवा सांविधिक निकाय की न हो;

(ii) सार्वजनिक जलाशय, सरिताएं, जलागार एवं कूप;

(iii) सार्वजनिक बाजार तथा वधशालाएं;

(iv) सार्वजनिक नाली तथा मोरी, जलवाह, सुरंग, पुलिया तथा नहर, जो किसी गली में, के पार्श्व में या नीचे स्थित हो;

(v) सरकारी मार्ग एवं खड़ंजा तथा उन पर पत्थर तथा अन्य सामग्रियाँ, और उन मार्ग और खड़ंजों पर अवस्थित वृक्ष भी, जो किसी निजी व्यक्ति की सम्पदा न हों;

(vi) सार्वजनिक पार्क तथा उद्यान, जिनमें चौक और सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं;

(vii) नदियों अथवा सरिताओं अथवा जलाशयों पर सार्वजनिक घाट,

(viii) सार्वजनिक दीप, दीप-स्तम्भ और उनसे जुड़े या संबंधित सभी उपकरण;

(ix) शवों के निस्तारण हेतु सार्वजनिक स्थल, जिनमें किसी विशेष नियम द्वारा शासित स्थल शामिल नहीं है;

(x) सार्वजनिक गली या स्थान में एकत्र किये गये सभी ठोस कचरे, जिनमें मृत पशु-पक्षी शामिल हैं;

(xi) लावारिस जानवर, जो किसी निजी व्यक्ति के नहीं हों, और

(xii) नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार के सैरात ।

2. शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, **2011** की धारा-**152** की उपधारा-**(3)** के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सम्पत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण तथा वसूली हेतु "झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण संग्रहण और वसूली) नियमावली, **2013**" विभागीय अधिसूचना संख्या-**641,** दिनांक-**17 फरवरी, 14** द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली को मूर्त रूप लिये जाने से निकायों के आंतरिक राजस्व के स्रोत में काफी वृद्धि हुई है एवं भविष्य में भी नगर निकायों के आय स्त्रोत में वृद्धि का स्थायी समाधान कर दिया गया है ।

3. प्रायः सभी शहरी स्थानीय निकायों में धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल अवस्थित है। नगर निकायों के आंतरिक राजस्व स्त्रतों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा **"**झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, वैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, **2013"** भी अधिसूचित किया गया है ।

4. शहरी स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यय भार वहन का दायित्व संबंधित नगर निकायों का है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा कतिपय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय योजना/राज्य योजना एवं वित्त आयोग से प्राप्त राशि नगर निकायों को उपलब्ध कराकर नगर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया गया है ।

5. झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की अल्प-आय को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय राज्य सरकार के कोष से दिये जाने का प्रावधान पूर्व में किया गया था ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, **2011** की धारा **22** एवं **100** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मासिक रूप से मानदेय का व्यय-भार शहरी स्थानीय निकायों के आंतरिक राजस्व से वहन करने का आदेश प्रदान करते हैं ।

6. शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या-**2647,** दिनांक **23 अक्टूबर, 2009** एवं संकल्प संख्या-**1594,** दिनांक **16 मई, 2011** में किये गये प्रावधान के अनुरूप रहेगा। यदि किसी प्रकार से इसमें परिवर्त्तन करना आवश्यक है तो राज्य सरकार से उसका पूर्वानुमोदन लेना अनिवार्य होगा ।

7. शहरी स्थानीय निकाय कंडिका-**2** में उल्लेखित संकल्प द्वारा मानदेय की निर्धारित दर में नगर निकाय के बोर्ड में निर्णय लेकर सरकार के अनुमोदनोपरान्त वृद्धि या कमी किया जायगा ।

8. यह संकल्प **01** मई**, 2015** से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से**,**
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 241—50 +300 ।